कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जनवरी, २०१८ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. दिनांक 19 अप्रैल 2017 से दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 लागू होने एवं दिनांक 15 जून 2017 को दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार नियम, 2017 के अधिसूचित हो जाने पर इस विभाग ने अधिनियम की धारा 2 (आर) के अंतर्गत यथा पारिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को केंद्र सरकार की सेवाओं एवं पदों पर आरक्षण देने संबंधी प्रावधान, के अनुरूप इस विभाग के दिनांक 15/01/2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/02/2017 स्था.(आरक्षण) के माध्यम से अनुदेश जारी किया ।

2. इस विभाग के दिनांक 12/01/2018 की अधिसूचना संख्या 39019/13/2017-स्था (ख) के माध्यम से श्री विनय मित्तल, सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग को 22 जनवरी 2018 के पूर्वाह्न से संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

3. सीसीएस (सेवा संघों के मान्यता) का नियम, 1993 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार स्टाफ कार ड्राइवर संघ को मान्यता प्रदान करने को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन द्वारा इस विभाग के दिनांक 24.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 17/1/2017 - आर एवं आर के माध्यम से सम्प्रेषित किया गया।

4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.09.2017 के अनुदेशों के अनुरूप इस विभाग के दिनांक 18/01/2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/8/2017- स्था 'क' IV के द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि जो सरकारी कर्मचारी वेतन स्तर 14 या उसके ऊपर कोष्ठक (ब्रैकेट) में आते हैं, वे छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के उद्देश्य से बिजनेस/क्लब श्रेणी में हवाई यात्रा के हक़दार होंगे। तथापि, अन्य शर्तें जैसे एलटीसी- 80 किराए की अधिकतम दर सीमा तथा प्राधिकृत तरीकों से लिए गए टिकटों की बुकिंग जैसी अन्य शर्तें पूर्ववत जारी रहेंगी।

5. मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने विभिन्न सूची 'क' एवं 'ख 'केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में 24 मामलों (04 अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक तथा 20 प्रकार्यात्मक निदेशक) की नियुक्तियों को अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की तेईस (23) नियुक्तियां, स्वायत्त निकायों/ संस्थाओं में मुख्य कार्यकारी की तीन (03) नियुक्तियां, समयपुर प्रत्यावर्तन के दो (02) प्रस्ताव, मंत्रियों के निजी सचिव की नियुक्ति के चार (04) प्रस्तावों, मंत्रियों के निजी सचिव की नियुक्ति (पार्श्व पाली) का एक (01) प्रस्ताव, मंत्रियों के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) की नियुक्ति के चार (04) प्रस्तावों/समय-विस्तार के सात (7) प्रस्तावों, पदावधि को कम करने के एक (01) प्रस्ताव को मंत्रिमंडल सचिव/एसीसी ने मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त नौ (09) अधिकारियों को केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव देकर बनाये रखा गया है।

6. दिनांक 01.01.2018 की अधिसूचना द्वारा अध्ययन भत्ते को समाप्त कर दिया गया है।